

कार्यालय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य संरक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

ग्राम डांडा लखौण्ड, पो0गुजराडा, सहस्रधारा रोड, देहरादून, 248001

पत्रांक:- एफ0एस0एस0ए0/अपी0अधि0/16/2011/1632 देहरादून दिनांक 1 मई, 2015

-प्रेस विज्ञापित:-

खाद्य संरक्षा, उत्तराखण्ड के अधीन देहरादून एवं हल्द्वानी में स्थापित अपीलीय अधिकरण में निम्नलिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु योग्य अभ्यर्थियों की आवश्यकता है:-

क्रम संख्या	पद नाम	वेतनमान	अर्हताएं/अनुभव
1.	वादलिपिक/शूट क्लर्क/वरिष्ठ सहायक	5200-20200 ग्रेड पे-2400	मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ सहायक सहायक लेखा कार्य का अच्छा ज्ञान हो। हिन्दी में टंकण का ज्ञान होना अनिवार्य है।
2.	रीडर/प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800 ग्रेड पे-4600	सेवाकाल में 03 वर्ष का अनुभव तथा लेखा कार्य का अच्छा ज्ञान हो।
3.	व्यक्तिगत सहायक व्यक्तिगत सहायक 21/2/15	9300-34800 ग्रेड पे-4600	मौलिक रूप से नियुक्त तथा हिन्दी में टंकण तथा आशुलेखन का ज्ञान होना आवश्यक है। अंग्रजी में टंकण एवं आशुलेखन का ज्ञान होने वाले कार्मिक को वरीयता प्रदान की जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने वाले कार्मिक के संबंध में शर्तें शासन के शासनादेश संख्या:-209/27(7)प्र0शा0/2006 दिनांक 16.11.2006 तथा सहपठित शासनादेश संख्या:-217/27(7)/2010 दिनांक 04.01.2010 में दिये गये प्राविधानानुसार रहेंगी।

इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन का प्रारूप commis.fssauk@gmail.com से डाउन लोड कर सकते हैं। आवेदन को पूर्ण रूप से भरते हुये कार्यालय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, डांडा लाखौण्ड, निकट आई0टी0पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 02.05.2015 से दिनांक 01.06.2015 तक जमा करा सकते हैं। स्पीड पोस्ट से भी उक्त आवेदन भेजे जा सकते हैं।

आज्ञा से

Om Prakash

खाद्य सुरक्षा आयुक्त
खाद्य संरक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिनियुक्ति के लिये आवेदन किये जाने हेतु आवेदन का प्रारूप

1. कार्मिक का नाम.....
2. कार्मिक का पद नाम.....
3. कार्मिक का मूल विभाग.....
4. कार्मिक के वर्तमान कार्यालय एवं पता.....
5. स्थायी पता/पत्राचार का पता.....
6. गृह जनपद.....
7. वर्तमान में प्राप्त किया जा रहा वेतनमान तथा ग्रेड-पे.....
8. शैक्षिक योग्यता.....
9. वर्तमान पद पर तैनाती की अवधि.....
10. वैवाहिक स्थिति.....
11. सरकारी आवास उपलब्ध है अथवा नहीं.....
12. मूल विभाग में प्रशासनिक कार्यवाही यदि कोई प्रचलित है तो.....
13. पूर्व में कोई प्रशासनिक कार्यवाही है तो उसका विवरण.....
14. विभागीय अनापत्ति.....